जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प–2(ई.सी.229)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2020/डी– 192

दिनांकः 01.10.2020

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 229वीं बैठक दिनांक 25.09.2020 का कार्यवाही विवरण

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1.	229.1	कार्यकारी समिति की 228 वीं बैठक दिनांक 03.06.2020 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिए गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 228वीं बैठक दिनांक 03.06.2020 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं निर्णयों की क्रियान्विति पर सन्तोष प्रकट किया गया।	–
2.	229.2	भूखण्ड संख्या 936 गोविन्दपुरा योजना क्षेत्रफल 40.50 वर्गमीटर के निरस्त आवंटन को बहाल करने एवं ब्याज+पेनेल्टी जमा कर अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भिजवाने बाबत्।	प्रकरण में नजराना राशि जमा कराने में विलम्ब 2 वर्ष से अधिक होने के कारण प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने हेतु निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–08

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
3.	229.3	Ex-post Facto Approval of Tender for the work of "Repairing and Maintenance of BSUP flats at Anand Lok I/II & Swapan Lok, Sikar Road (Annual Rate Contract)"	प्रकरण में विचार विमर्श पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति दी गयी।	अधिशाषी अभियंता हाउसिंग–प्रथम
4.	229.4	Termination of License agreement of M/s Pinkcity Buildhome Pvt Ltd. Awarded for the work of Operation and maintenance of Tourist Facility Center, Chaura Rasta, Jaipur, on Commercial License basis for 10 Years.	प्रकरण में विचार विमर्श पश्चात् सचिव जविप्रा की अध्यक्षता में निदेशक (वित्त) एवं निदेशक अभियांत्रिकी–प्रथम की एक कमेटी गठन करने का निर्णय लिया गया, जो समस्त तथ्यों का अवलोकन कर लाईसेन्सी को बुलाकर व्यक्तिगत सुनवाई करेगी। कमेटी की अनुशंसा के साथ प्रकरण आगामी बैठक में निर्णय हेतु रखे जाने का निर्णय लिया गया।	अधिशाषी अभियंता (आरओबी.आरयूबी–चतुर्थ)
5.	229.5	प्राधिकरण स्ट्रेन्थ में उप नियन्त्रक (प्रवर्तन) के 02 पदों के स्थान पर 04 पद रखे जाने बाबत्।	प्रकरण में विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तुत प्रस्तावनुसार प्राधिकरण स्ट्रेन्थ में उप नियंत्रक (प्रवर्तन) के 02 पदों के स्थान पर 04 पद रखे जाने का निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
6.	229.6	Regarding Ex Post Facto approval for "Permission to invite bids on two bid system for O&M work of various STP having estimated cost below 3.0 crore".	प्रस्तावानुसार प्रकरण में कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।	अधिशाषी अभियंता (पीएचई–प्रथम)
7.	229.7	Agenda for ratification of decision taken regarding extending advance for procurement of essential material to M/s Simplex Infrastructure Ltd. For the work of construction of Elevated road from Sodala trijunction to Ambedekar Circle, Jaipur.	प्रस्तावानुसार प्रकरण में कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।	अधिशाषी अभियंता (प्रोजेक्ट–प्रथम)
8.	229.8	राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा ग्राम सिरौली, जयपुर की अवाप्तशुदा भूमि का भू–उपयोग मास्टर विकास योजना–2005 में दर्शित पब्लिक–सेमीपब्लिक (रिक्रियेशनल, इकॉलोजिल, वॉटर बोडी भू–उपयोग को यथावत रखते हुए) से कमिटमेंट के आधार पर आवासीय किये जाने के	प्रकरण के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा के अध्ययन हेतु समय चाहा गया अतः प्रकरण निर्णय हेतु आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान)

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		संबंध में।		
9.	229.9	श्री हबीबुल्ला पेंशनर द्वारा पत्नि श्रीमती जाहिदा एवं स्वंय के इलाज के रूपयें 4,41,754/— के भुगतान की स्वीकृति के क्रम में।	प्रकरण में विचार विमर्श पश्चात् रू. 4,41,754/— के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक (वित्त)
10.	229.10	तदर्थ पदोन्नति कार्य ग्रहण दिनांक से नियमित पदोन्नति आदेश दिनांक तक की वेतन अन्तर राशि वसूल नही किये जाने बाबत्।	दिनांक 28.07.2009 एवं 25.01.2010 के द्वारा 08 नये निजी सचिव के पद सृजित करने हेतु नगरीय विकास विभाग को लिखे गये पत्र की प्रत्याशा में प्राधिकरण में 08 वरिष्ठ निजी सहायक को निजी सचिव के पद पर तदर्थ पदोन्नति दिये जाने पर निजी सचिव के स्वीकृत 08 पदों के विरूद्ध 16 निजी सचिव कार्यरत हो गये थे। उक्त तदर्थ पदोन्नत निजी सचिव को पदावनत नही किया गया। कालान्तर में वर्षवार पद रिक्त होने पर 08 तदर्थ निजी सचिवों को वर्ष 2017—18 तक नियमित हो गये। कार्यकारी समिति में उक्त बिना स्वीकृत पद के निजी सचिव पद के वेतन की वसूली राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेश दिनांक 17.08.2016 के क्रम में नही करने की अनुशंसा सहित प्रकरण प्रशासनिक विभाग (नविवि विभाग) सहमति हेतु भेजने का निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
11.	229.11	Ex post facto approval of Bid Documents and decisions taken in the pre bid meeting for the work "Ramniwas Bagh Underground parking project Phase-II. On Engineering Procurement and Construction (EPC) mode"	प्रकरण में विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तुत प्रस्ताव का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया ।	अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय)
12.	229.12	श्री रमेश चन्द पुत्र श्री ओमप्रकाश के फ्लैट संख्या बी–3/FF/103 के नियमति करण के सम्बन्ध में।	I. प्रकरण में नजराना राशि जमा कराने में विलम्ब 2 वर्ष से अधिक होने के कारण प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया। II. नजराना राशि विलम्ब से जमा कराने के प्रकरण प्रायः ई. डब्ल्यू.एस., एल.आई.जी एवं एम.आई.जी. से सम्बन्धित होते है। विलम्ब के ऐसे प्रकरणों में त्वरित निर्णय लेने एवं प्रक्रियात्मक सुधार हेतु निर्णय लिया गया कि भविष्य में 220 वर्गमीटर तक ईडब्ल्यूएस, एलआइजी के भूमि आवंटन प्रकरणों में कार्यकारी समिति की (Competency) अधिकारिता 01 से 02 वर्ष तक एवं 02 वर्ष से अधिक विलम्ब के नजराना राशि विलम्बित के प्रकरणों में भविष्य में सम्बन्धित जोन उपायुक्त द्वारा पत्रावली पर प्रकरण तैयार कर "सचिव+निदेशक (वित्त)+जोन उपायुक्त" की उप–समिति	उपायुक्त जोन–11

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			गठित की जावेगी। कमेटी द्वारा 02 वर्ष तक कार्यकारी समिति की अधिकारिता वाले क्षेत्रों में स्वीकृति जारी की जावेगी व 02 वर्ष से अधिक अवधि के प्रकरण उप–समिति की अनुषंशा सहित राज्य सरकार को भिजवाये जायेगें। उप–समिति के समस्त निर्णयों का आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।	
13.	229.13	जविप्रा के मृतक कर्मचारियों को सरकारी सेवा में सेवारत पारिवारिक पेंशनर्स को मंहगाई राहत भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रकरण में वित्त विभाग, राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27.06.2018 के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (वित्त)
14.	229.14	Agenda note for ratification of Bid Document of P/L/J of sewer lines with construction of manholes in PRN (South) area Package-I under PHE-II Jurisdiction, JDA, Jaipur.	प्रकरण में प्रस्तावानुसार कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।	अधिशाषी अभियंता (पीएचई–II)
15.	229.15	मसाला चौक रामनिवास बाग, जयपुर में स्थित 22 कियोस्को का लॉकडाउन तिथि 22.03.2020 से 16.09.2020, 176 दिनों का किराया माफ किये जाने बाबत्।	प्रकरण, समस्त तथ्यों सहित राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।	अधिशाषी अभियंता (उद्यान)

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
16.	229.16	श्री शहीद पुत्र श्री मो0 यूनिस फ्लैट संख्या C1/SF/201 बीएसयूपी योजना के नियमतिकरण कराने बाबत्।	प्रकरण में नजराना राशि जमा कराने में विलम्ब 2 वर्ष से अधिक होने के कारण प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने हेतु निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन--11
17.	229.17	श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री कैलाश टेलर के फ्लैट संख्या--J2/FF/101 बीएसयूपी योजना के नियमतिकरण कराने बाबत्।	प्रकरण में नजराना राशि जमा कराने में विलम्ब 2 वर्ष से अधिक होने के कारण प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने हेतु निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन--11
18.	229.18	निदेशक (विधि) जविप्रा के निवास कार्यालय हेतु फर्नीचर क्रय की अनुमति बाबत्।	प्रस्तावानुसार विचार विमर्श कर राज्य सरकार के परिपत्र के अनुरूप अनुमोदन किया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (स्टोर)
19.	229.19	श्रीमती कमलेश झांझर पत्नी श्री रामेश्वर लाल चौधरी को फ्लैट संख्या L2/GF/3 (ई.डब्ल्यू.एस) के नियमितिकरण कराने के सम्बन्ध में।	प्रकरण में नजराना राशि जमा कराने में विलम्ब 2 वर्ष से अधिक होने के कारण प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने हेतु निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन--11

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
20.	229.20	श्रीमती शारदा पत्नी श्री लक्ष्मण के फ्लैट संख्या L2/FF/7 (ई.डब्ल्यू.एस) के नियमितिकरण कराने के सम्बन्ध में।	प्रकरण में नजराना राशि जमा कराने में विलम्ब 2 वर्ष से अधिक होने के कारण प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने हेतु निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–11
21.	229.21	एस.एम.एस. हॉस्पिटल से ट्रोमा सेन्टर को जोडने हेतु अण्डरपास के अन्दर निर्मित दुकान संख्या 3 के स्वतः निरस्तीकरण कर ब्याज एवं पेनल्टी की राशि जमा कराने की स्वीकृती एवं नियमितिकरण के संबंध में।	राजस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) रूल्स, 1974 के नियम–14 के तहत संलग्नक–अ के बिन्दु (एफ)(ii) अनुसार प्रकरण में स्वतः निरस्तीकरण एक वर्ष से अधिक पुराना नही है। अतः जयपुर विकास आयुक्त के अनुमोदन बाद पुनः बहाली का निर्णय लिया गया।	ओएसडी (आरएम)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दूः–

22.	229.22	प्राधिकरण के अधिकार में जोन–6 में स्थित मुरलीपुरा सामुदायिक केन्द्र को ग्रेटर नगर निगम, जयपुर के मुरलीपुरा जोन कार्यालय उपयोग करने हेतु ट्रांन्सफर करने बाबत्	वैबेक्स माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नगर निगम, जयपुर द्वारा प्राधिकरण स्वामित्व के जोन–6 स्थित मुरलीपुरा सामुदायिक केन्द्र भवन केम्पस को नगर निगम मुरलीपुरा जोन कार्यालय के खोलने हेतु प्राधिकरण से ट्रांन्सफर करने बाबत् बैठक में विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि जोन में वर्तमान में कहीं रिक्त स्थान नहीं है एवं नये जोन कार्यालय के लिए यह स्थान सर्व उपयुक्त है। अतः यदि इस सामुदायिक केन्द्र भवन का कार्यालय भवन हेतु उपयोग किया जाता है तो अधिक जन उपयोगी होगा। अतः निर्णय लिया गया की वर्तमान में ग्रेटर नगर निगम, जयपुर की जन उपयोगी आवश्यक्ता को देखते हुये यह सामुदायिक भवन निगम को इस शर्त के साथ ट्रांन्सफर किया जावे की वो भविष्य में इसे अन्य किसी को ट्रान्सफर या बेचान नहीं करेंगे साथ ही नगर निगम द्वारा अन्यत्र सामुदायिक भवन बनाने हेतु	उपायुक्त जोन–6

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

			वैकल्पिक स्थान की तलाश कर भविष्य में सामुदायिक भवन बनवाया जावे। यदि नगर निगम द्वारा इस भवन का उपयोग कार्यालय भवन हेतु नहीं किया जाता है तो पुनः इसे जविप्रा को सुपुर्द कर दिया जावेगा।	

(आलोक रंजन)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 229वीं बैठक दिनांक 25.09.2020 को दोपहर 12.30 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभाकक्ष 'चिंतन' में श्री गौरव गोयल, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार रही :–

क्र. सं.	नाम सदस्य/अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1.	श्री गौरव गोयल	जयपुर विकास आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री आलोक रंजन	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
3.	श्री आर.के. विजयवर्गीय	निदेशक (नगर आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4.	श्री वृद्धि चन्द्र बुनकर	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5.	श्री ए.एस नेहरा	जिला कलक्टर	कलक्ट्रेट, जयपुर	सदस्य
निम्न अधिकारी भी वैबेक्स द्वारा बैठक में उपस्थित हुए:–				
6..	श्री दिनेश यादव	आयुक्त	ग्रेटर जयपुर नगर निगम, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
7.	श्री ह्रदेश शर्मा	संयुक्त शासन सचिव–तृतीय	नगरीय विकास विभाग, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
8.	श्री प्रकाश	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	उपायुक्त पुलिस मुख्यालय, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
9.	श्री सतीश मंगल	अधिशाषी अभियंता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित:–				
10.	श्री वीरेन्द्र सिंह सुण्डा	निदेशक अभियांत्रिकी–द्वितीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11.	श्री राजीव जैन	अति. आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12.	श्री अबू सुफियान चौहान	उपायुक्त जोन–4 एवं 9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13.	श्री नरेश सिंह तंवर	उपायुक्त जोन–11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14.	श्री संजीव कुमार जैन	अति. मुख्य अभियंता III	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15.	श्री बी.एल जाटव	अति. मुख्य अभियंता II	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्री वेद प्रकाश, वर्मा	अधीक्षण अभियंता–V	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17.	श्री आर.के सिंह	अधीक्षण अभियंता–उद्यान	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18.	श्री एम.एल मीणा	अधीक्षण अभियंता–X	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19.	श्री वी.एम.जौहरी	अधिशाषी अभियंता आरओबी–IV	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20.	श्री संजय व्यास	अधिशाषी अभियंता (विद्युत–I)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21.	श्री मुकेश कुमार मीणा	अधिशाषी अभियंता (पीएचई–II)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22.	श्री नवल किशोर मीणा	उप निदेशक जनसम्पर्क	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

(आलोक रंजन)
सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प--2(ई.सी.229) / जविप्रा / जे.सी.(एस.एम.) / 2020 / डी–　　　　　　　　　　दिनांकः

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न हैः–

क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	प्रमुख शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
5	आयुक्त,ग्रेटर / हैरिटेज	जयपुर नगर निगम, जयपुर।
6	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
7	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
8	जिला कलक्टर	जिला कलक्ट्रेट, जयपुर।
9	पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)	पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
10	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
11	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग,जयपुर।
12	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
13	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
14	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
15	निदेशक (अभियांत्रिकी--प्रथम / द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
16	निदेशक (नगर आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
17	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
18	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन / पूर्व / पश्चिम / पुनर्वास / एल.पी.सी. / भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	उपायुक्त जोन.........	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	सिस्टम एनालिस्ट	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	उप–निदेशक (जन–सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सचिव
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर